

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302015
(दूरभाष नं०:-0141-2740837,, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:-एफ.4(ई)/(अ-2169/2013)/अलेसे-III/1279-83

दिनांक :- 06/11/24

कार्यालय आदेश

श्री अभिषेक तानाण (लिंक नं. 12326) कनि. लेखाकार (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) कार्यालय तत्कालीन कार्यालय जिला परिषद् (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), सिरोही हाल कार्यालय संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, अजमेर को राजस्थान सेवा नियमों के नियम-96 के अंतर्गत निम्नानुसार असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

क.सं.	असाधारण अवकाश की अवधि	कुल दिवस
1	दि. 25.09.2018 से 28.09.2018	04
2	दि. 24.12.2018 से 02.07.2020	557
	योग	561

कुल 561 दिवस

उक्त कुल 561 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री अभिषेक तानाण की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावें।
उक्त स्वीकृति वित्त (राजस्व) विभाग, राज. जयपुर की डायरी संख्या 3032 दिनांक 18.09.2024 से प्राप्त अनुमोदन के क्रम में जारी की गई है।


(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:-एफ.4(ई)/(अ-2169/2013)/अलेसे-III/1279-83
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

दिनांक :- 06/11/24

1. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, अजमेर।
2. श्री अभिषेक तानाण (लिंक नं. 12326) कनि. लेखाकार (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) कार्यालय संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, अजमेर।
3. निजी सचिव, निदेशक।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।


(क.जी.गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक)